

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की तेईसवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 26 जून, 2025 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी :

1. यथा 31 मार्च 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ हानि खाता, तुलन पत्र खाता पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा द्वारा संरक्षित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट ।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश घोषित करना ।
3. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एस के मजुमदार की नियुक्ति।

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 4/5(i)/2023-बीओ.आई. दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 24 मार्च, 2025 से 23 मार्च, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एस के मजुमदार की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाता है।

4. वित्त वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 92897), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty-Third Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Thursday, the 26th June 2025 at 11 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2024-25.
3. To appoint Shri. S K Majumdar as an Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the appointment of Shri. S K Majumdar as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref. eF.no. 4/5(i)/2023- BO.I dated 24th March, 2025 issued by GoI, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from March 24, 2025 to March 23, 2028, or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved.”

4. To appoint Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years commencing from the FY 2025-26.

To consider and if thought fit, to pass the following as an ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT M/s. Ragini Chokshi & Co. (Firm Registration Number 92897), Practicing Company Secretaries, Mumbai, is hereby appointed as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five

वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5. सुश्री नलिनी पद्मनाभन को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना।

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए :

"यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 5(1) और 9(2)(बी) के साथ पठित, अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 6/1(i)/2024-बीओ.आई दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 11 अप्रैल, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में सुश्री नलिनी पद्मनाभन की पुनः नियुक्ति की जाती है।

6. केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बीआर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) और केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, जैसा कि संशोधित किया गया है (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड) निदेश, 2019 के अनुसार जारी किए गए आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निर्देश डीबीआर एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 को आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर एपीपीटी बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और इसके आगे संशोधन, यदि कोई हो (इसके बाद "आरबीआई निर्देश" के रूप में संदर्भित) और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई

consecutive Financial Years commencing from the FY 2025-26 till FY 2029-30."

5. To reappoint Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR), Regulations, 2015 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the reappointment of Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director of the Bank in exercise of powers under clause (h) of subsection (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 vide Notification Ref. eF.No 6/1(i)/2024- BO.I dated 11th April, 2025 issued by Gol, for a term of one year, from the date of notification, i.e., from April 11, 2025 to April 10, 2026, or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

6. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI Circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto,

दिनांक 3 सितंबर 2013, एफ.सं.16/51/2012-बीओआई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और 20 जुलाई 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2015, 08 जुलाई 2016 और उसमें किसी भी आगे संशोधन, (जिसे आगे "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को निर्धारित मानदंडों के साथ पढ़ा जाए और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, संबंधित योजना, इसके तहत बनाए गए विनियमन, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा श्रेयधारकों में से चुने गए दो निदेशकों को बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे 27 जुलाई, 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि पूरी होने तक (यानी, 26 जुलाई, 2028 तक) पद पर बने रहेंगे।”

उपर्युक्त चुनाव और संकल्प को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भी माना जाएगा।

if any (hereinafter referred to as “RBI Directions”) and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the “GOI Guidelines”) and to pass the following resolution with or without modification(s):

“RESOLVED THAT two Directors elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Directions and GOI Guidelines, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2025 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2028)”.**”**

The aforesaid Election and the Resolution shall also be considered to be under the provisions of Regulation 25(2A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2025

By Order of the Board of Directors

के. सत्यनारायण राजु

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 30.05.2025

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3,4,5 व 6 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से वर्ष 2025 में कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को छूट दी है, जो **30 सितंबर, 2025** को या उससे पहले सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने 23rd एजीएम का संचालन कर रहा है, जिसे "ई-एजीएम" कहा जाता है।

बैंक ने ई-एजीएम के संचालन के लिए वार्षिक आम बैठक और परिचर एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त किया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

- वीसी / ओएवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटरों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई-एजीएम में एफआईएफओ प्रवेश हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।
- ई-एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना बैठक के कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- शेयरधारक रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> / शेयरधारक / सदस्य लॉगिन के तहत वीसी का उपयोग

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3, 4, 5 & 6 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide various circulars issued from time to time has extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2025 to conduct their AGMs on or before **30th September, 2025** in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the circulars, the Bank is conducting its 23rd AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- The VC / OAVM would allow participation of at least 1000 Shareholders on first-come-first-serve basis.
- No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of Shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.
- The Shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- Shareholders may access the VC at <https://emeetings.kfintech.com> / under Shareholders/

कर सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- च) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- छ) इसके अलावा, शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति देने की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करें।
- ज) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- झ) किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हितधारक आरटीए/ तकनीकी सहायता केंद्र से evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने प्रश्नों को अपने लॉगिन पेज <https://evoting.kfintech.com/>, उनके नाम, फोलियो / डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर पंजीकरण पटल में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" पटल को 23 जून 2025 को सुबह 10 बजे से 24 जून 2025 को शाम 5 बजे तक सक्रिय किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक की शंकाओं / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब, शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 19 जून 2025 तक शेयरों को धारण करना जारी रखता है।

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा चालू रखने की आवश्यकता है और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पटल में

members login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in Shareholder / members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- f) Shareholders are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.
- g) Further, Shareholders will be required to allow camera, if any, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- i) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The Shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page <https://evoting.kfintech.com/>, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail id and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10 A.M. IST on 23rd June 2025 till 5 P.M. IST on 24th June 2025.

Please note that, Shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the Shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 19th June 2025.

Shareholders who wish to speak at the meeting will be required to allow camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload

दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़नेवाले वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न करने के इच्छुक शेयरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख पाएंगे।

5. प्रॉक्सी की नियुक्ति

प्रॉक्सी को शेयरधारक की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। चूंकि यह बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस बैठक में शेयरधारक द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय का कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जो बैंक का शेयरधारक है, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के साथ प्रमाणित न किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात शनिवार, 21 जून, 2025 को बैंक के बंद होने के समय पर या उससे पहले जमा किया जाना होगा।

their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration."

Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / OAVM, where the physical attendance of the Shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Shareholders would not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a Shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 21st June, 2025.

7. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ संप्रेषण

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

इकाई : केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को शेयर अंतरण एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों / ई-मेल आईडी को केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

8. रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर ₹4/- (अर्थात 200%) के लाभांश को प्रत्येक शेयरधारकों को ₹2/- अंकित मूल्य का वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन देने हेतु सिफारिश की है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन शेयरधारकों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा 13 जून 2025 (आगे से रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किए गए शेयरधारकों / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाए। लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (26 जून 2025) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बैंक जहां भी संभव हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें और शीघ्र ही एनईएफटी / एनईसीएसएस के माध्यम से जमा लाभांश राशि सुनिश्चित करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Limited

Unit: Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the Shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. RECORD DATE

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4/- per equity share (i.e. 200%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the financial year 2024-25, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 13th June 2025 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the Shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (26th June 2025). The Bank will credit the dividend amounts to the Bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and Bank mandate details (including new account number, if any, Bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक अधिदेश का विवरण बैंक के सचिवालय विभाग या इस नोटिस में दिए गए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पते पर प्रस्तुत / अद्यतन करना चाहिए।

9. लाभांश भुगतान पर कर

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय पर कर योग्य है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन को बैंक/आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अद्यतन करें।

ख) वैध पैन के साथ निवासी व्यक्ति शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्रोत पर कर की कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म नंबर 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें, यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो उच्च दर से कर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की शर्त पर, भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित कर संधि का लाभ उठाया जा सकता है, जिसे संबंधित दस्तावेजों / घोषणाओं को प्रस्तुत करके या तो दस्तावेजों / प्रपत्रों को अपलोड करके या ईमेल भेजकर या प्रासंगिक दस्तावेजों / प्रपत्रों की मूल प्रति जो आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध हैं।

ग) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त टीडीएस/रोक कर दर पर कर निर्धारित करने और कटौती करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को आरटीए की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/form15> पर 16 जून 2025 को शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय), पर अपलोड करें या einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल करें।

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice in order to receive dividend. No Dividend warrant will be issued to them.

9. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of Shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The Shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual Shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate. Non-resident Shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com).

c) The Shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 P.M. (IST), 16th June 2025 on the website of the RTA viz. <https://ris.kfintech.com/form15> or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

घ) केवल डाक / कूरियर या पंजीकृत ई-मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल मूल प्रति भेज रहा है) हमारे आरटीए को ऊपर दिये गए पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। 16 जून 2025 के बाद कर निर्धारण / कटौती पर कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever Shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post 16th June 2025.

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधि अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे खातों में लाभांश के प्रत्यक्ष जमा हेतु बैंक खातों के अद्यतन के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट अर्थात् www.canarabank.com पर पोस्ट किया है ताकि शेयरधारकों को शेयर अंतरण एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावी लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी / 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित अप्रदत्त लाभांश पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में उन सभी शेयरों को स्थानांतरित करेगा जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट विवरणों वाले विवरण भी होंगे;

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत या अप्रदत्त धन को उपधारा (3) के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया गया है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the financial years 2021-22, 2022-23 and 2023-24, are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Bank for updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C / 125 of the Companies Act, 1956/2013. The unpaid dividend pertaining to the financial year 2016-17 is already transferred to IEPF.

Further, in terms of The Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules;

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund under sub section (3), shall be entitled to claim the transfer from the said fund,

124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण का दावा करने का हकदार होगा।

11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजेगा, जो इसके लिए अनुरोध करेगा। वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसका पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और <https://evoting.kfintech.com/> पर भी देखा जा सकता है।

12. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

13. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को कैफ़ीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कार्यसूची मद संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के संबंध में शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा गुरुवार, 19 जून 2025 को धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी तथा कार्यसूची मद संख्या 6 के संबंध में शुक्रवार, 23 मई 2025 को कट-ऑफ तिथि होगी। कट-ऑफ तिथियों पर बैंक के शेयरधारक जो भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे नोटिस के कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

in accordance with the rules made under Section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013.

11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will send the physical copies of Annual Report to the Shareholders who request for the same. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and <https://evoting.kfintech.com/> respectively.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the Shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

With respect to agenda items No. 1, 2, 3, 4 and 5, the e-voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Thursday, 19th June 2025 and with respect to agenda item No. 6 as on Friday, 23rd May 2025 being the Cut-off date(s) respectively. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- क. ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें:
<https://evoting.kfintech.com>
- ख. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
- ग. जिन लोगों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया:

जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग नोटिस की सेवा नहीं दी जा सकी है, वे अस्थायी रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भेज सकते हैं, इसके लिए लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx> पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com ई-मेल आईडी पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

- घ. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ङ. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ए-जेड), एक संख्यात्मक वैल्यू (0-9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई-मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते

The instructions for e-Voting are as under:

- a. To use the following URL for e-voting:
<https://evoting.kfintech.com>
- b. Enter the login credentials Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.
- c. **Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail address are not registered:**

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Shareholders may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively, Shareholders may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc., on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost

हैं। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

- च. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- छ. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।
- ज. **मतदान पृष्ठ पर कार्यसूची मद सं 1, 2, 3, 4 व 5** के लिए निर्दिष्ट तिथि (19 जून, 2025) के अनुसार शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति / असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और जैसा भी मामला हो, "FOR" / "AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR / AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।
- झ. **कार्यसूची मद सं 6** के लिए इस कार्यसूची मद के संबंध में, निर्दिष्ट तिथि यानी शुक्रवार, 23 मई, 2025 को शेयर रखने वाले लोग, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से अधिकतम दो उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डाल सकते हैं, जिनके नाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दो से अधिक उम्मीदवारों को वोट देने पर आपका वोट अमान्य हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए ओके पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए रद्द करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक चुनाव प्रस्ताव पर मतदान करने तक जितनी बार चाहें उतनी बार लॉगिन कर सकते हैं।
- ञ. ऐसे शेयरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

care to keep your password confidential.

- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.
- h. **For the Agenda items No. 1, 2, 3, 4 & 5** on the voting page, the number of shares as held by the Shareholder as on the Cut-off Date (19th June, 2025) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items, then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.
- i. **For the Agenda item No. 6** In respect of this Agenda Item, those holding shares as on the specified date, i.e., Friday, 23rd May, 2025, can cast their vote in favour of maximum two candidates, out of the contesting candidates, whose names will appear on the screen. Casting Vote exceeding two candidates shall render your vote as invalid. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Election resolution.
- j. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

ट. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।

ठ. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ड. रिमोट ई-वोटिंग अवधि :

यह पोर्टल सोमवार, 23 जून, 2025 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, 25 जून 2025 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) मतदान के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

ढ. किसी भी प्रकार के पृष्ठताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का उल्लेख कर सकते हैं या कैफ़रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री एस वी राजू / श्री बालाजी रेड्डी से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

ण. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

त. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक आम बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

निक्षेपागार के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया:

k. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to : scrutinizer@snaco.net.

l. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

m. Remote e-Voting Period:

The portal will remain open for voting from: 9.00 A.M. on Monday, the 23rd June, 2025 to 5.00 P.M. on Wednesday, the 25th June, 2025 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.

n. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju / Mr. Balaji Reddy of KFin Technologies Limited at 1800 309 4001 (toll free).

o. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

p. The results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आई डी ए एस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता: - यूआरएल: https://eservices.nsdl.com - आई डी ए एस के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। - नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi / Easiest का विकल्प चुना है। - यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com - नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें - यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। - बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। - अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. आई डी ए एस ई-सेवाओं के लिए प्रयोक्ता पंजीकृत नहीं है - रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com "रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आई डी ई ए एस" का चयन करें - वैकल्पिक तौर पर आवश्यक विवरणी दर्ज करें। विकल्पतः, - पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।	2. प्रयोक्ता जो Easi / Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है - पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है - आवश्यक मदों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ - शेयरधारक/सदस्य भाग के तहत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। - यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में दर्ज 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करें। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: www.cdslindia.com - डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें - सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रहा होगा।
4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए डूआप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।	

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: - URL: https://eservices.nsdl.com - Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section. - On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting” - Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest - URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com - Click on New System Myeasi - Login with User ID and Password. - Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. - Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services - To register click on link : https://eservices.nsdl.com - Select “Register Online for IDeAS” - Proceed with completing the required fields. - Alternatively, - To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest - Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration - Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL - URL: https://www.evoting.nsdl.com/ - Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. - Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. - Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. - Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period	3. By visiting the e-Voting website of CDSL - URL: www.cdslindia.com - Provide demat Account Number and PAN No. - System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & E-mail as recorded in the demat Account. - After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress
4. For OTP based login You can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on the company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-voting service provider website for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.	

महत्वपूर्ण सूचना: जो शेयरधारक प्रयोक्ता आईडी / पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगोट यूजर आईडी और फॉरगोट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

14. बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली

केवल उन शेयरधारकों को ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है।

शेयरधारक बैठक के दौरान वीसी / एवीएम में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करके पर क्लिक करके उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकते हैं।

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system.

The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link: <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. वोटिंग / पोल के समय संवीक्षक

मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमण्यम एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव बैठक के सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टापोल दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग और सर्वेक्षण के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और ई-एजीएम में मतदान के समेकित परिणाम दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक वक्तव्य

मद संख्या 3

श्री एस के मजुमदार को बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त करना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए, जो भी पहले हो। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, श्री एस के मजुमदार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 24 मार्च, 2025 से 23 मार्च, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के अनुसार श्री एस के मजुमदार का संक्षिप्त परिचय, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित, इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिया गया है।

श्री एस के मजुमदार, 56 वर्ष के हैं और बैंकिंग उद्योग में 25 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ एक कुशल बैंकिंग पेशेवर हैं। वे योग्यता से सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार हैं।

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-voting and instapoll in respect of all the agenda items items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and Voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

EXPLANATORY STATEMENTS

ITEM No. 3

To appoint Shri. S K Majumdar as an Executive Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. S K Majumdar has been appointed as an Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from March 24, 2025 to March 23, 2028, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri. S K Majumdar in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri. S K Majumdar, aged 56 years, is an accomplished Banking professional with over 25 years of extensive experience in the industry. He is a Chartered Accountant and Cost Accountant by qualification.

वे जनवरी 2000 से बैंक से जुड़े हुए हैं और उन्होंने शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें परियोजना वित्त भी शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं, जिसमें वृहद कॉर्पोरेट शाखाओं, न्यूयॉर्क शाखा और वृहद कॉर्पोरेट साख विभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने तक बैंक के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ) का पदभार संभालने से पहले बैंक में दिल्ली अंचल प्रमुख, दिल्ली के रूप में भी कार्य किया है।

He has been associated with the Bank since January 2000 and has served in various capacities across branches and administrative offices which includes project finance. Over the years, he has held key leadership roles, heading Large Corporate Branches, New York branch and Large Corporate Credit Wing. He has also served the Bank as Circle Head, Delhi before taking charge as Group Chief Financial Officer (GCFO) of the Bank till his elevation as Executive Director.

मद संख्या 4

वित्त वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24ए के अनुसार भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई सचिवीय लेखा परीक्षा करेगी तथा सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, निर्दिष्ट प्रारूप में, अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगी। प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिनों के भीतर, शेयर बाजार को निर्दिष्ट प्रारूप में सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

01.04.2025 से, निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति करेगी: (i) एक व्यक्ति को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में लगातार पाँच वर्षों की एक अवधि से अधिक नहीं के लिए; या (ii) एक सचिवीय लेखा परीक्षा फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में लगातार पांच वर्षों की दो अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए पांच साल की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक है।

बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति को मंजूरी दी और मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 92897), अभ्यासरत कंपनी सचिव, मुंबई को बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाले लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का संकल्प लिया। सचिवीय लेखा परीक्षक को देय प्रस्तावित शुल्क जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष 80,999 रुपये (प्रति वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि के साथ) और जीएसटी को छोड़कर पांच वर्षों के लिए 4,94,499 रुपये निर्धारित किया गया है। नव नियुक्त सचिवीय लेखा

ITEM No. 4

To appoint Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years commencing from the FY 2025-26.

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations 2015, every listed entity incorporated in India shall undertake secretarial audit and shall annex a secretarial audit report given by a company secretary in practice, in such form as specified, with the annual report of the listed entity. Every listed entity shall submit a secretarial compliance report in such form as specified, to stock exchanges, within sixty days from end of each financial year.

With effect from 01.04.2025, on the basis of recommendation of board of directors, a listed entity shall appoint or re-appoint: (i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or (ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years, with the approval of its Shareholders in its Annual General Meeting. Hence there is a requirement to appoint a Secretarial Auditor for a term of five years.

Board of Directors of the Bank approved the Appointment of Secretarial Auditor of the Bank and resolved to appoint M/s. Ragini Chokshi & Co. (Firm Registration Number 92897), Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive years commencing from the FY 2025-26 subject to the approval of Shareholders of the Bank". The proposed fee payable to the Secretarial Auditor is fixed at ₹80,999/- per year excluding GST (with 10% annual increment per year) and ₹4,94,499/- for five years, excluding GST. There is no material change in the

परीक्षक को देय शुल्क में निवर्तमान लेखा परीक्षक को दिए जाने वाले शुल्क से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी अभ्यासगत कंपनी सचिव, मुंबई को पात्रता मानदंड को पूरा करने के साथ-साथ सबसे कम बोली प्रस्तुत करने के आधार पर नियुक्त किया गया है। फर्म की वरिष्ठ और संस्थापक भागीदार श्रीमती रागिनी चोकशी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की फेलो सदस्य हैं और उन्हें कंपनी सचिव के रूप में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। पीसीएस वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं।

मद संख्या 5

सुश्री नलिनी पद्मनाभन को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए श्रेयधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए श्रेयधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

सुश्री नलिनी पद्मनाभन को 21 दिसंबर, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल दिनांक दिनांक 20.12.2024 को पूरा हुआ।

केंद्र दिनांक द्वारा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 5(1) और 9(2)(बी) का प्रयोग करते हुए, सुश्री नलिनी पद्मनाभन को अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 11 अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

fee payable to the newly appointed Secretarial Auditor from that paid to the outgoing auditor.

M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai is appointed on the basis of fulfilling the eligibility criteria as well as submitting the lowest quote. Mrs. Ragini Chokshi, senior and founding partner of the firm, is a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India and is having more than 30 years' experience as Company Secretary in practice. The PCS is currently serving as Secretarial Auditor of Public Sector Banks.

ITEM No.5

To reappoint Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a manager is taken at the next General Meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

Ms. Nalini Padmanabhan, was appointed as Part-Time Non-Official Director on the Board of Directors of Canara Bank, for the period of three years w.e.f. 21st December, 2021 and her tenure was completed on 20.12.2024.

In exercise of powers under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by the Central Government, Ms. Nalini Padmanabhan has been reappointed as Part-time Non-Official Director on the Board of the Bank, for a term of one year, from the date of notification, i.e., from April 11, 2025 to April 10, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के अनुसार सुश्री नलिनी पद्मनाभन का संक्षिप्त परिचय, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित, इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिया गया है।

60 वर्षीय सुश्री नलिनी पद्मनाभन बी.कॉम, एफसीए, डीआईएसए, सीआईएसए हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की फेलो सदस्य हैं। वह एक अभ्यासगत सनदी लेखाकार हैं और बी. त्यागराजन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चेन्नई में वरिष्ठ भागीदार हैं। उनके पास लेखा, लेखा परीक्षा, बैंकिंग, वित्त और कई अन्य उद्योगों में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव और ज्ञान है। उन्होंने एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (चेन्नई लोकल बोर्ड) में भी स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम किया है।

11 अप्रैल, 2025 को केनरा बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

बैंक में निदेशक पद/शेयरधारिता की सीमा तक के अलावा कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित/रुचि नहीं रखते हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 6

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित तीन निदेशक हैं।

01. श्री विमल प्रसाद शर्मा (पुनर्निर्वाचित यथा दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 तक)
 02. सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (यथा दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 तक)
 03. श्री हेमंत बुच (यथा दिनांक 30.11.2024 से 29.11.2027 तक)
- दो निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों, अर्थात् श्री विमल प्रसाद शर्मा और सुश्री आभा सिंह यदुवंशी का कार्यकाल दिनांक 26.07.2025 को

Brief profile of Ms. Nalini Padmanabhan in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Ms. Nalini Padmanabhan, aged 60 years, is B.Com, FCA, DISA, CISA and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. She is a Practicing Chartered Accountant and a Senior Partner at B. Thiagarajan & Co., Chartered Accountants, Chennai. She is having more than three decades of work experience and knowledge in Accounting, Auditing, Banking, Finance and various other industries. She has served as an Independent Director in NLC India Limited, NLC Tamil Nadu Power Limited. and Indradhanush Gas Grid Limited. She has also served as an Independent Director in State Bank of India (Chennai Local Board).

Ms. Nalini Padmanabhan has taken charge as Part-Time Non-Official Director of Canara Bank on 11th April, 2025.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their directorship/ shareholding if any, in the bank are concerned / interested in the above resolution and are not related to each other.

ITEM No.6

To Elect Two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government

Pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, at present, the Board of Directors of our Bank has the following three Directors representing Shareholders other than the Central Government.

01. Shri. Bimal Prasad Sharma (Re-elected w.e.f. 27.07.2022 to 26.07.2025).
 02. Ms. Abha Singh Yaduvanshi (w.e.f. 27.07.2022 to 26.07.2025).
 03. Shri. Hemant Buch (w.e.f. 30.11.2024 to 29.11.2027).
- The term of Two elected Shareholder directors, i.e., Shri. Bimal Prasad Sharma and Ms. Abha Singh Yaduvanshi ends on 26.07.2025. Accordingly, to fill in

समाप्त हो रहा है। तदनुसार, उक्त रिक्तियों को भरने के लिए, निदेशक मंडल ने बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना और दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं।

शेयरधारक निदेशकों का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए नामांकनों की जांच के बाद तथा बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा उनकी 'उपयुक्त एवं योग्य' स्थिति के निर्धारण के बाद तथा उसके बाद वार्षिक आम बैठक में चुनाव के बाद किया जाएगा। इस प्रकार चुने गए शेयरधारक निदेशक 27 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे तथा तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके प्रासंगिक उद्धरण/अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

the said vacancies, the Board of Directors have decided to conduct election of two directors from amongst Shareholders other than the Central Government at the ensuing AGM of the Bank.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Directors will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his / her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the AGM. The Shareholder Directors so elected shall assume office from 27th July 2025 and shall hold office for a period of three years.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore, entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

क. विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों को दर्शाती है:

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	- पर्याप्त रुचि - सामान्य निदेशकों का निषेध - अपने किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3ए) & धारा 9(3बी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	- मताधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति वाला व्यक्ति न हो। भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। - निष्ठा और गोपनीयता के प्रति दायित्व
राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8) खंड 14ए, विशेष प्रावधान	- निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल - बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं - निदेशक का पद रिक्त होना - निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना - निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना - निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं। - यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि समिति में किसी रिक्त स्थान के होने या उसके किसी सदस्य के समिति से अलग हो जाने के कारण समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है, तो बोर्ड ऐसा कार्य या बात कर सकता है।

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulation / Scheme/ Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	- Substantial Interest - Prohibition of Common Directors - Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	- Restriction on voting rights - No. of directors to be elected by the Shareholders - Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. - Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A, Special provision	- Term of office of elected directors - Disqualifications from being elected as a Director of the Bank - Vacation of office of Director - Removal from office of an elected Director - Filling of casual vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. - If the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or refusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम सभा में मतदान - निदेशकों का चुनाव आम बैठक में किया जाएगा - शेयरधारकों की सूची - चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन - नामांकनों की संवीक्षा - चुनाव विवाद - मताधिकार का निर्धारण - विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान - प्रॉक्सी
आरबीआई अधिसूचना संख्या DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और अन्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3 एए) और धारा 9(3 एबी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 को भारत सरकार के पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के साथ पठित तथा दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन और उसके पश्चातवर्ती संशोधन, यदि कोई हों, के साथ पठित।		बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन के साथ-साथ आरबीआई अधिसूचना संख्या DBR.Appt. No : 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रासंगिक उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात बुधवार, 11 जून, 2025 को या उससे पहले बेंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, केनरा बैंक को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर ईमेल भी किए जाएंगे।

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBR. Appt. No: 9/ 29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and others	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	'Fit and Proper' criteria for elected directors on the board of nationalized Banks
Revised Guidelines issued by the Government of India, approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part-time non-official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 read with OM dated 3 rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of 'Fit and Proper' Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1 st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (LODR) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme / Regulation as well as RBI Notifications No. DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.canarabank.com which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Canara Bank at their Head Office at Bengaluru on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e., Wednesday, June 11, 2025.

ख. चुनाव में भागीदारी:

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऐसे शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 मई, 2025 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने, अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के हकदार होंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि केन्द्र सरकार निदेशकों के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

ख) यदि वह विकृतचित्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

ग) यदि उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया हो; या

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, सिवाय पूर्णकालिक निदेशक के पद को धारण करने के, जिसके अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशक भी शामिल हैं।

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut- Off Date i.e., on Friday, May 23, 2025 shall be entitled to participate, i.e., nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Directors.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(ख) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं डीबीआर आवेदन 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देश संख्या एफ नं 16/51/2012-बी ओ आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 को 3 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित अनुसार 'उपयुक्त और योग्य' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

घ. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा तथा पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद पर नहीं रहेगा।

ड. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं

1. अधिनियम की धारा 9(3 ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक चुना जाता है,

क) निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात:-

i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सह-परिचालन

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने 24 नवंबर 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. आवेदन.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बढ़ाकर इसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान

(B) If he / she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines No. F.No.16/51/2012-BO.I. dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:

i. Agriculture and Rural Economy

ii. Banking

iii. Co-operation

iv. Economics

v. Finance

vi. Law

vii. Small Scale Industry

viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

(RBI vide its circular no. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement

प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंकों में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है)

क) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या

ख) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है

2. अधिनियम की धारा 9(3 एए) और आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते, जो उम्मीदवार बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसके पास 'उपयुक्त और योग्य' स्थिति होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3 एबी) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले भी निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जाए।

इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को संविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

च. आरबीआई की 'उपयुक्त और उचित' मानदंड अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3 एए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा किए जाने वाले विशिष्ट "उपयुक्त और उचित" मानदंड निर्धारित करते हुए दिनांक 02 अगस्त 2019 को अधिसूचना डीबीआर.एण्ट.सं.9/29.67.001/2019-20 जारी की है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं:

"उपयुक्त और उचित" स्थिति आदि तय करने के लिए प्राधिकरण, तरीके/प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकारी:

बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [जिसे आगे समिति कहा जाएगा] का गठन करना होगा जिसमें निदेशक मंडल [जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा] में से कम से कम तीन गैर-कार्यपालक

Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the Banks)

a) represents the interest of depositors; or

b) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a Shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA NOTIFICATION

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980 has issued notification DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific 'Fit and Proper' Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three

निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए, ताकि एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

ख) प्रणाली एवं प्रक्रिया:

बैंक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और वचन प्राप्त करेंगे। नामांकन स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद समिति की बैठक होगी और नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। समिति की चर्चाओं को बैठक के औपचारिक मिनटों के रूप में उचित रूप से दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान हुआ है, तो उसे भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक समझा जाएगा, उचित प्राधिकारी / व्यक्तियों को संदर्भ देगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप है।

ग) मानदंड

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को प्रस्तावित अभ्यर्थियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर करना चाहिए:

- (i) आयु - चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित कट-ऑफ तिथि को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- (ii) शैक्षिक योग्यता - अभ्यर्थी कम से कम स्नातक होना चाहिए।

non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which, not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'Fit and Proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The Banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'Fit and Proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) Educational qualification - The candidate should at least be a graduate.

(iii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र – उम्मीदवार के पास एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए(ए) / बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए) में उल्लिखित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, जैसा भी मामला हो, आरबीआई परिपत्र डीबीआर.आवेदन बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पढ़ें।

(iv) अयोग्यताएं: एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

(क) अभ्यर्थी किसी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा और उप-पैरा (ग) के प्रयोजन के लिए, "बैंक" पद में बैंकिंग कंपनी, एक तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

(ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर उन्हें उनमें कोई प्रबंधकीय नियंत्रण प्राप्त नहीं है।

(ग) किसी भी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित / पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, यदि उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों तक निदेशक के रूप में, चाहे वह लगातार हो या बीच-बीच में कार्य किया हो।

(iii) Experience and field of expertise - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in Section 19A(a) of the SBI Act / Section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "Bank" shall include a Banking company, a corresponding new Bank, State Bank of India, a co-operative Bank and a regional rural Bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para-Banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected / re-elected on the Board of a Bank if he / she has served as director in the past on the board of any Bank / FI / RBI / Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.



- (घ) अभ्यर्थी स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- (ङ) अभ्यर्थी संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- (च) अभ्यर्थी किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो।
- (छ) अभ्यर्थी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो, जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो, जिसके लिए चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है।
- (v) कार्यकाल - निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक पद पर नहीं रहेगा, चाहे वह लगातार या अन्तराल पर कार्यरत हो।
- (vi) व्यावसायिक प्रतिबंध -
- (क) अभ्यर्थी का संबंधित बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नहीं होना चाहिए और न ही वह ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, जिससे उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो।
- (ख) अभ्यर्थी का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली किसी गैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- बशर्ते कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ ऐसा कोई संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) के तहत अपेक्षा को पूरा करने वाला माना
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised Bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank in which nomination for election is filed.
- (v) Tenure - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- (vi) Professional Restrictions -
- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned Bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that Bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a Bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank.
- Provided that a candidate having any such relationship with a Bank at the time of filing nomination for election shall be deemed

जाएगा, उम्मीदवार समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा, और निर्वाचित होने पर, बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसा संबंध समाप्त कर देगा।

(vi) ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा – अभ्यर्थी किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूचना के अंतर्गत नहीं होना चाहिए तथा किसी भी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

बैंक को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना होगा:

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध विलेख;

(ख) 31 मार्च को एक साधारण घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा।

छ. भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर 2013 को जारी अपने पत्र के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रख सकती है, जबकि शेयरधारक निदेशक की "उपयुक्त और उचित स्थिति" का निर्धारण भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2015 को जारी अपने पत्र के माध्यम से 8 जुलाई 2016 के संशोधनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 25 मार्च 2015 को संशोधित दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिनका सार इस प्रकार है:

to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the Bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the Bank.

(vi) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority / agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The Banks shall obtain from the elected director:

(a) A Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) A simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the Bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

G. GoI GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

Further as advised by GoI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non-Official Directors (NOD), while determining 'Fit and Proper' Status of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

क) सामान्य

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
2. नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, पिछला रिकार्ड, ईमानदारी आदि के आधार पर किया जा सकता है। ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली के लिए की गई सिविल कार्रवाइयां, पेशेवर निकायों में प्रवेश से इनकार या निष्कासन, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक व्यवहार आदि पर भरोसा किया जाएगा।

ख) अनुभव

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (किसी प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, असफल संगठन में सुधार लाया हो) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो तथा संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी, भूतपूर्व सीएमडी / ईडी को उस पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
3. शिक्षाविद, प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के निदेशक और प्रोफेसर जिनके पास 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc., will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of Agriculture, Rural Economy, Banking, Co-operation, Economics, Business Management, Human Resources, Finance, Corporate Law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with a total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs / EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs / EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. 20 वर्ष के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले सनदी लेखाकार को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
5. तथापि, मामले की योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में छूट दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

ग) शिक्षा

एनओडी के लिए कम से कम किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, अधिमानतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ।

घ) आयु

खोज/नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ) कार्य अनुभव

पेशेवरों / शिक्षाविदों को अपने विशेष क्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

च) अयोग्यताएं

- i. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / आरबीआई / बीमा कंपनी में पहले से कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ii. किराया खरीद, निवेश वित्तपोषण, लीजिंग और अन्य पैरा- बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर बैंकों / वित्तीय संस्थाओं/ आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। किराया खरीद, निवेश वित्तपोषण, लीजिंग और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में लगे निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर उनके पास ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases, based on merits of the case.
6. As far as possible, representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank / FI / RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-Banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/ FIs/RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para-Banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

- iii. किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
- iv. एक सनदी लेखाकार, यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- v. सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

छ) कार्यकाल

किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों तक एनओडी / शेयरधारक-निदेशक रह चुका हो, चाहे लगातार या बीच-बीच में।

ज) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) स्कीम, 1970 के खंड 10(d) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद के संबंध में व्यावसायिक प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छह क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व - का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

ज. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार, दूसरे व चौथे शनिवार तथा बैंक अवकाशों को छोड़कर) पर अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि या कंप्यूटर प्रिंटआउट की आवश्यकता हो, तो उसे प्रति 1000 शब्द या प्रतिलिपि / मुद्रण के लिए आवश्यक उसके आंशिक भाग के लिए 5 रुपये की दर से पूर्व भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- v. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country - North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturdays and Bank holidays) between 3.00 P.M. & 5.00 P.M. If any Shareholder requires a copy or computer printout of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him / her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

झ. शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति, सोमवार 2 जून, 2025 से बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे शेयरधारकों द्वारा बेंगलूरु में देय केनरा बैंक के पक्ष में 50,000/- रुपये [केवल पचास हजार रुपये प्लस जीएसटी] के डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान पर खरीदा जा सकेगा।

ज. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते:

- विनियमों के विनियमन 65 के अनुसार, वह एक शेयरधारक है, जिसके पास शुक्रवार, 23 मई 2025 को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हैं, जो चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित/कट-ऑफ तिथि है और यदि वह निर्वाचित होता है, तो बैठक की तिथि तक और उसके बाद उसके कार्यकाल के अंत तक उसके पास न्यूनतम 100 शेयर बने रहेंगे।
- अधिनियम के तहत निदेशकों को चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके विधिवत् गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में वैध नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां यह किया जाता है, बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति, जिसमें इसे पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय को कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय बेंगलूरु को संबोधित करके भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा नामांकन के नमूना फॉर्म के अनुसार एक घोषणा और इस नोटिस में प्रस्तुत घोषणा के साथ एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एग्योरेंस या

I. LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Monday, 2nd June, 2025 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only plus GST] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 23rd May 2025 being the Specified / Cut-Off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he / she is elected.
- The valid nomination in writing signed by at least One Hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office, Bengaluru and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the

अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, और वह अधिनियम या विनियमन अधिनियम या योजना या विनियमों या लागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है, साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायो डेटा) को विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा यह पुष्टि करते हुए कि उसके द्वारा प्रदान किए गए विवरण उसके सर्वोत्तम जानकारी और सहमति के अनुसार सत्य हैं तथा साथ ही वह यह वचन देता है कि वह घोषणा के बाद, सूचना से संबंधित ऐसी घटनाओं के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से सूचित करेगा।

- घ) 11 जून 2025 तक, जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अयोग्य नहीं है और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.संख्या : 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा "उपयुक्त और योग्य" पाया गया है, जिसे सरकार द्वारा गैर-आधिकारिक निदेशकों के लिए जारी 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा गया है। निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश या ऐसे अन्य निर्देश का पालन करना होगा।
- ड) नामांकन प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार विनियमन द्वारा निर्धारित हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट: www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है)

specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio-data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- d) As on 11th June, 2025, being the last date for receipt of nominations, he/she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found 'Fit and Proper' by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non-Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.canarabank.com)

ठ. नामांकन प्रपत्र जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों के बीच से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "केनरा बैंक – निदेशकों का चुनाव – जून 2025" लिखा हो, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक / कूरियर के माध्यम से कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड बेंगलूरु – 560 002 को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वे एजीएम के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले अर्थात् बुधवार, 11 जून, 2025 को शाम 5.00 बजे तक या किसी भी कार्य दिवस पर पहुंच जाएं:

- क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- ख) वैध नामांकन प्रपत्र, चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारक;
- ग) नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता, साथ में संबंधित दस्तावेज, प्रशंसापत्र, जैसे बायोडाटा की स्व-सत्यापित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक से संबंधित अनुभव आदि
- घ) उक्त नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, अन्यथा नामांकन अस्वीकृत कर दिया जाएगा

ड. नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव:

- क) नामांकनों की जांच बुधवार, 12 जून 2025 को शुरू होगी, अर्थात् नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पहला कार्य दिवस और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो कारणों को अभिलेख में दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा
- ख) वैध नामांकनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा या योजना के खंड 14ए के अनुसार बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। चूंकि आरबीआई के निर्देश / अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon "Canara Bank - Election of Directors - June 2025" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office 112, J C Road, Bengaluru - 560 002 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM, i.e., on or before 5.00 P.M. on Wednesday, 11th June, 2025:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination Forms - minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-Data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) The scrutiny of Nominations shall commence on Thursday, the 12th June, 2025, i.e., the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of

द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का स्वरूप समान हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवार (ओं) की योग्यता और उपयुक्तता की स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से अधिक कड़े प्रतिबंध पर विचार कर सकता है।

- ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी / बोर्ड के परामर्श के अनुसार उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी एवं दस्तावेज मांग सकता है।
- घ) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली दो रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन हैं, तो इस प्रकार नामांकित और योग्य पाए गए उम्मीदवारों को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और पते इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई चुनाव/मतदान नहीं होगा। नव निर्वाचित निदेशक 27 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे।
- ङ) यदि दो से अधिक वैध नामांकन हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा तथा जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत वोट प्राप्त होगा, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में मतदान का योग, उन्हें निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम की घोषणा की जाएगी तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किए जाएंगे।

ढ. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक के बंद होने के समय से पहले किसी भी समय यानी 20 जून 2025 को शाम 5.00 बजे तक कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलुरु - 560 002 को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या hosecretarial@canarabank.com पर ई-मेल द्वारा स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा करने का हकदार होगा।

ण. मतभेद

यदि कोई मतभेद होता है, तो उसका निपटारा केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के संशोधित विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction/ Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two, while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).

- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- d) If there are only two valid nominations for the two vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election / voting. The newly elected directors will assume office on July 27, 2025.
- e) If there are more than two valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidates in receipt of the majority of the votes in their favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his / her nomination, he / she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 P.M. on June 20, 2025 by sending a signed letter addressed to Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002 or sending scanned and signed letter over e-mail at hosecretarial@canarabank.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended.

त. उद्धरण

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भागों के अंश बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर पोस्ट किए गए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को सचिवालय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु में लिखकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

थ. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें कारोबार की उपरोक्त मदों से संबंधित या हितबद्ध माना जाएगा।

द. निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि के उद्धरण

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या के संबंध में प्रावधान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के प्रासंगिक विनियमन, संशोधित रूप में, शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

पर्याप्त ब्याज - धारा 5(एनई):

- किसी कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या दोनों मिलकर उसके शेयरों में लाभकारी हित धारण करना, जिस पर चुकता राशि पांच लाख रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो;

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification / GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.canarabank.com for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

Q. ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, are reproduced below for the information of the Shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds Five Lakh of Rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less;

- (ii) किसी फर्म के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा उसमें धारित लाभकारी हित, चाहे अकेले या साथ में, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

सामान्य निदेशकों का निषेध - धारा 16(1):

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसा कोई व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध - धारा 20:

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी—

क) अपने स्वयं के शेषों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना, या

ख) किसी को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम देने के लिए कोई प्रतिबद्धता दर्ज करना -

(i) इसके निदेशकों में से कोई भी

(ii) कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हितबद्ध है, या

(iii) कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है, या कोई सरकारी कंपनी है जिसकी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी का बैंकिंग कंपनी का कोई भी निदेशक निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर है या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता है, या

(iv) कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटर हो।

- 2) जहां किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा है कि यदि उपधारा (1) का खंड (ख) उस दिनांक को प्रवृत्त होता, जिसको बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारम्भ के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा ऋण या

- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -

a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -

(i) any of its Directors

(ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

(iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

(iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan

अग्रिम दिया गया था या दिया जाता है, तो उसे देने की प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती थी, किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी को ऋण या अग्रिम के कारण देय राशियों को, उस पर देय ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऋण या अग्रिम प्रदान करने के समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, वहां उक्त धारा 5 के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे; बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी मामले में बैंककारी कंपनी द्वारा इस संबंध में लिखित में आवेदन किए जाने पर, ऋण या अग्रिम की वसूली के लिए अवधि को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा, जो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक की तारीख नहीं होगी और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ठीक समझे:

बशर्ते कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो।

- 3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम, या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा, और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी छूट शून्य और प्रभावहीन होगी।
- 4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा देय कोई ऋण या अग्रिम राशि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को वापस नहीं की गई है, वहां यदि वह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो यह समझा जाएगा कि उसने उक्त दिनांक को अपना पद रिक्त कर दिया है।

इस धारा में स्पष्टीकरण:

- "ऋण या अग्रिम" में कोई भी लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, लेनदेन की प्रकृति, उसके भीतर की अवधि, और तरीके और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। जिसमें, लेन-देन के कारण देय किसी भी राशि की वसूली होने की संभावना है, जमाकर्ताओं के ब्याज और

or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized,

अन्य प्रासंगिक विचार, इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अग्रिम नहीं होने के रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट होते हैं।

- “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके सभी या किसी भी मामले के प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन या सलाह देने के उद्देश्य से गठित भारत में किसी भी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल है।

5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेनदेन इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अग्रिम है, तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत किए गए किसी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत किए गए संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध:

धारा 3 (2ई): केन्द्र सरकार के अलावा, तत्संबंधी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, तत्संबंधी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना:

धारा 9(3)(आई): जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी है:

- क) कुल चुकता पूंजी का सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक
- ख) दो निदेशकों की कुल चुकता पूंजी का सोलह प्रतिशत से अधिक, किन्तु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं।
- ग) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, तीन निदेशक जो केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.

- “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3 (2E): No Shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- a) not more than sixteen percent of the total paid-up capital, one Director
- b) more than sixteen percent, but not more than thirty-two percent of the total paid-up capital, two Directors.
- c) more than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार संभालने पर, खंड (एच) के तहत नामित निदेशकों की समान संख्या योजना में निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले, किसी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ से पहले चुने गए निदेशकों की ऐसी अतिरिक्त संख्या उस तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित होने वाले निदेशक -

(क) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थव्यवस्था
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग

viii. कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने 24 नवंबर 2016 को जारी अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बढ़ाकर इसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है, जो उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें बैंकों में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है)

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:

- Agricultural and Rural Economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small Scale Industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular No.DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/ 2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the Banks)

(ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना; या

(ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

धारा 9(3 एए): उप-धारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों के आधार पर 'योग्य और उचित स्थिति' वाला व्यक्ति न हो।

धारा 9(3 एबी): भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले भी निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें आवश्यक या उसके लिए प्रासंगिक माना जाए।

धारा 9(3 बी): जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित तत्स्थानी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, वहां वह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक कि अगली वार्षिक आम बैठक में तत्स्थानी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा किसी निदेशक का विधिवत चुनाव नहीं कर लिया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत चुना गया माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व:

धारा 13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या किसी नए बैंक का लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का कार्यभार संभालने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having 'Fit and Proper' status based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल: खंड 9(4):

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर बना रहेगा और पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों का पद रिक्त होना :

खंड 11:

- यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है या बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अधिक में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तत्पश्चात उसका पद रिक्त हो जाएगा।
- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रबंध निदेशक या निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है; और कोई अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
- पूर्वगामी उप-खण्डों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खण्ड (ई) या खण्ड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक का पद, जैसे ही निदेशक, उस राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी या कर्मचारी नहीं रह जाता है जिसका वह निदेशक है, रिक्त हो जाएगा।
- जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक के पद पर कोई रिक्ति होती है, तो उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना :

खंड 11ए :

केन्द्रीय सरकार के अलावा, शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, जो कुल मिलाकर ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i)

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

- If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
- Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such Shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such

के अंतर्गत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं तथा उसके स्थान पर रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुन सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद पर रिक्ति को भरना:

खंड 11बी :

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।

बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह माह से कम होने की संभावना हो, वहां रिक्ति को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकेगा।

2. उप-खण्ड (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

निदेशकों द्वारा रुचि का प्रकटीकरण:

खंड 12(8):

कोई निदेशक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या हितबद्ध है, प्रासंगिक परिस्थितियों के उसके ज्ञान में आने के पश्चात यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा और बोर्ड की बैठक में उस समय उपस्थित नहीं होगा जब किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही हो, जब तक कि अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो और कोई भी निदेशक, जिसकी इस प्रकार उपस्थिति अपेक्षित न हो, किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा:

बशर्ते कि इस उप-खण्ड में निहित कोई भी बात ऐसे निदेशक पर केवल इस आधार पर लागू नहीं होगी कि वह:

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में उस समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, के साथ या जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया है या करने का प्रस्ताव किया है, दो प्रतिशत से अधिक चुकता पूंजी रखने वाला कोई शेयरधारक (निदेशक के अलावा); या

Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. A Shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक है।

विशेष प्रावधान:

खंड 14ए :

जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से विधि द्वारा कोई कार्य या बात करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति द्वारा या किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सुरक्षा धारकों की शिकायतों की सिफारिशों या अवधारण, या समाधान अपेक्षित है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति की बैठक की गणपूर्ति ऐसी समिति में कोई रक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने पर, बोर्ड वह कार्य या बात कर सकता है।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित:

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियमन 10:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस की तामील और शेयरों के हस्तांतरण को छोड़कर केनरा बैंक से संबंधित सभी या किसी अन्य मामले के संबंध में एकमात्र धारक माना जाएगा।

विनियमन 61:

आम सभा में मतदान:

- किसी भी आम बैठक में, बैठक के वोट के लिए रखा गया एक संकल्प, जब तक कि मतदान की मांग नहीं की जाती है, हाथ दिखाने पर तय किया जाएगा।
- अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, सामान्य बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्णय बहुमत से किया जाएगा।
- जब तक उप-विनियमन (i) के तहत एक मतदान की मांग नहीं की जाती है, बैठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा कि हाथ दिखाने पर

- an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a nationalised Bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 61:

Voting at General Meeting:

- At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that

एक संकल्प या तो सर्वसम्मति से या किसी विशेष बहुमत द्वारा नहीं किया गया है और कार्यवाही के मिनट वाली पुस्तकों में उस प्रभाव की प्रविष्टि, तथ्य का निर्णायक सबूत होगा, ऐसे संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना।

- (iv) हाथ उठाकर मतदान के किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले या उसके बाद, बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से मतदान कराने का आदेश दिया जा सकेगा, और मतदान कराने का आदेश उसके द्वारा किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस निमित्त की गई मांग पर दिया जाएगा, जो व्यक्तिगत रूप से या परोक्ष रूप से उपस्थित हों और बैंक में ऐसे शेयर धारण करते हों, जो संकल्प पर मतदान करने की शक्ति प्रदान करते हों, जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान शक्ति के पांचवें भाग से कम न हो।
- (v) मतदान की मांग किसी भी समय उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है जिसने मांग की थी।
- (vi) बैठक के सभापति के स्थगन या निर्वाचन के प्रश्न पर मांगे गए मतदान को तत्काल लिया जाएगा।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर मांगे गए मतदान को ऐसे समय में लिया जाएगा जब मांग की गई थी, उस समय से अड़तालीस घंटे से अधिक नहीं किया जाएगा, जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निर्देशित कर सकता है।
- (viii) किसी भी व्यक्ति की मतदान करने की योग्यता के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय, और मतदान के मामले में भी, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने के लिए सक्षम वोटों की संख्या के रूप में अंतिम होगा।

विनियम 63:

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक:

- i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक का चुनाव केंद्र सरकार से इतर रजिस्टर पर शेयरधारकों द्वारा केनरा बैंक की आम बैठक में स्वयं में से किया जाएगा।

a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any Shareholder or Shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Regulation 63:

Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.

- ii) जहां किसी साधारण बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो वहां उसकी सूचना बैठक बुलाने वाली सूचना में सम्मिलित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और उन रिक्तियों का विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में चुनाव कराया जाना है।

विनियम 64:

शेयरधारकों की सूची:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, उस रजिस्टर पर शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और निरूपित संख्या के साथ-साथ वे दिनांक जिस तारीख को शेयर पंजीकृत किए गए थे और मतों की संख्या जिसके वे उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख पर हकदार होंगे जिस पर चुनाव होगा और सूची की प्रतियां खरीद के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले उपलब्ध होंगी। प्रधान कार्यालय में आवेदन पर बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर बैठक।

विनियम 67:

चुनाव संबंधी विवाद :

- i) यदि किसी निर्वाचित माने गए या घोषित किए गए व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में वोट देने का हकदार उम्मीदवार या शेयरधारक है, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के भीतर, केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में इसकी सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देगा जिन पर उसे चुनाव की वैधता पर संदेह है या विवाद है।

- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64:

List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of Shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the Shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 67:

Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or Shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) उप-विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, केनरा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित निदेशकों में से किसी दो से मिलकर बनी समिति के निर्णय के लिए तुरंत भेजेंगे।

iii) उप-विनियमन (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध था, तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था, तो वह जांच शुरू होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा आदेश देगी और नए चुनाव कराने सहित ऐसे निर्देश देगी, जो परिस्थितियों में समिति को उचित प्रतीत हों।

iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निदेश निर्णायक होगा।

विनियम 68:

मताधिकार का निर्धारण:

i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो एक सामान्य बैठक की तारीख से पहले रजिस्टर के बंद होने की तारीख को एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में, हाथ दिखाने पर एक वोट होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा आयोजित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, पूर्वोक्त के रूप में मतदान करने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं होने के नाते, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है या जो एक कंपनी होने के नाते एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित है, या प्रॉक्सी द्वारा हाथ दिखाने पर एक वोट होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि ऊपर उप-विनियमन (i) में कहा गया है।

ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68:

Determination of Voting Rights:

i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each Shareholder who has been registered as a Shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i) Explanation - for this Chapter, "Company" means any body corporate.

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का अर्थ है कोई भी कॉर्पोरेट निकाया कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के संबंध में मतदान केवल दूरस्थ ई-वोटिंग और पोल द्वारा किया जाएगा।

iii) एक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे शेयरधारक हों या नहीं) को अपने प्रॉक्सी के रूप में स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने के हकदार होंगे; लेकिन इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69:

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- एक शेयरधारक, केंद्र सरकार या एक कंपनी होने के नाते, एक संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति (इन नियमों में 'विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उसी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वह केनरा बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक था। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी केंद्र सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- कोई भी व्यक्ति केनरा बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में, किसी कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक उपस्थित होने या मतदान करने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव की एक सत्य प्रतिलिपि, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया हो जिसमें उक्त प्रस्ताव पारित किया गया था, बैठक की निर्धारित तिथि से न्यूनतम चार दिवस पूर्व केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTORS SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a Shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69:

Voting by Duly Authorised Representative:

- A Shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the Shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual Shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case, any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- No person shall attend or vote at any meeting of the Shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors

के. सत्यनारायण राजु

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2025

Place : Bengaluru
Date : 30.05.2025